न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

GCMS NO 2018/00082

अपील संख्या - 43/18

किशन लाल पुत्र रामनारायण जाति बैरवा निवासी ग्राम महेसरा तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. भरतलाल पुत्र स्व0मोतीलाल जाति बैरवा
2. अशोक पुत्र स्व0मोतीलाल जाति बैरवा निवासीयान ग्राम महेसरा तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर
3. श्रीमती संतरा पुत्री स्व0मोतीलाल पत्नि जगजीवन जाति बैरवा निवासी ससुराल खेरदा सवाई माधोपुर
4. श्रीमती मीरा पुत्र स्व0मोतीलाल पत्नि दयाराम जाति बैरवा निवासी ससुराल ग्राम खानपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर
5. श्रीमती रोशनी पुत्री स्व0मोतीलाल पत्नि लेखराज जाति बैरवा निवासी ससुराल ग्राम हिन्दवाड तहसील व जिला सवाई माधोपुर
6. मदनलाल पुत्र स्व0लक्ष्मीनारायण जाति बैरवा
7. श्रीमती माया पुत्री स्व0 लक्ष्मीनारायण जाति बैरवा
8. श्रीमती लाडा धर्मपत्नि स्व0लक्ष्मीनारायण जाति बैरवा
9. बाबूलाल पुत्र गोपी जाति बैरवा
10. रामदयाल पुत्र गोपी जाति बैरवा
11. कन्हैया पुत्र मोतीलाल जाति बैरवा समस्त निवासीयान ग्राम महेसरा तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो/वादीगण

12. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो/प्रतिवादी सं0 2

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 94/15 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.3.18 न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर)

अभिभाषक अपीला0 श्री एस0एस0गुप्ता

अभिभाषक रैस्पो0 श्री सुरेन्द्र प्रसाद गुप्ता

दिनांक 31.12.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरू[illegible] [illegible] डिक्री दिनांक 27.3.18 न्यायालय उप जिला कलक्टर मलारना डूँगर पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:11:24 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0/वादी द्वारा एक दावा घोषणा खातेदारी,इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ग्राम महेसरा के एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। एक ही कुटुम्ब के 1/2 भूमि ख0न0 129 रकबा 5 बीघा 2 विस्वा ग्राम महेसरा मे स्थित है। इस भूमि का रिकार्ड मे रकबा 5 बीघा 2 विस्वा अंकित है। परन्तु मौके पर 4 बीघा 17 विस्वा है। वादी संख्या 1 व 2 का पिता तथा प्रति संख्या 3 ता 5 के बाबा मांग्या उर्फ मांगीलाल का सम्वत 2009 से ही उप कृषक के रूप मे कब्जा काश्त रहा है तथा 1/2 भाग पर सम्वत 2009 से ही काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा था। मांग्या की मृत्यु की के बाद से ही 1/2 भाग पर वादीगण काबिज है। उक्त भूमि के मूल खातेदार दुर्गासिह,करणसिह एवं नारायण सिह राजपूत थे। यह भूमि सिंलिंग मे अवाप्त हो गई। परन्तु कब्जा काश्त बदस्तुर वादीगण के पिता एवं बाबा का चलता रहा। आवंटन के समय वादीगण के पिता एवं बाबा मांग्या के पास ज्यादा भूमि होने के कारण उनको आवंटन नही हो सकती थी। इस कारण वादीगण के पिता एवं बाबा तथा प्रतिवादी के पिता ने संयुक्त परिवार की आपसी सहमति से उक्त भूमि का आवंटन प्रतिवादी के नाम करा दिया। परन्तु 1/2 भाग पर कब्जा काश्त मांग्या का बदस्तुर रहा । आवंटन के बाद वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच उक्त भूमि का बंटवारा हो गया तथा उक्त भूमि का 1/2 पश्चिमी भाग वादीगण के पिता एवं बाबा के हिस्से मे आया तथा उक्त भूमि का नम्बर 129/2 होकर वादीगण एंव प्रतिवादी अपने अपने भाग 1/2, 1/2 पर काबिज काश्त है। सम्वत 2009 से 2033 तक 1/2 भाग पर वादीगण के पिता तथा बाबा मांग्या तथा उनकी मृत्यु के बाद वादीगण का नाम खसरा गिरदावरियो मे दर्ज है। इस प्रकार भूमि ख0न0 129/2 रकबा 4 बीघा 17 विस्वा पर 1/2 पश्चिमी भाग पर वादीगण कस समवत 2009 से बदस्तुर कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं वादीगण का एडवर्स पजेशन भी है जो बारह साल से अधिक समय से है। प्रतिवादी द्वारा वादीगण के विरूद्व कोई बेदखली की कार्यवाही नही की गई। एडवर्स पजेशन के आधार पर धारा 19 के तहत वाई ऑपरेशन आफ लॉ वादीगण को कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। वादीगण उक्त भूमि के 1/2 भाग के खातेदार है तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर 1/2 भाग की खातेदारी अपने नाम कराने का अधिकारी है। वादी का 1/2 भाग का दावा खारिज होने के बाद प्रतिवादी के दिल मे बदनियती आ गई वह जबरन लठठ के बल पर सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करना चाहता हैं। इस कारण दावा करना लाजमी हुआ। दावा वादीगण डिक्री किया जाकर भूमि ख0न0 129/2 रकबा 4 बीघा 17 विस्वा ग्राम महेसरा के 1/2 भाग की खातेदारी का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के नाम किया जावे तथा प्रतिवादीगण को वादीगण के हिस्से मे कब्जे काश्त मे उपयोग मे किसी प्रकार की मजाहमत नही करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/रेस्पो0 का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 किशनलाल द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:11:24 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम पर किसी प्रकार का निर्णय पारित नही किया है। तनकी संख्या 1 ता 3 तथा 5 ता 7 को वादीगण/रेस्पो0 के पक्ष मे साबित मानकर अहम भूल की है। जबकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से कोई भी तनकी उनके पक्ष मे साबित नही थी तथा उनके विरूद्व साबित थी। दावे के अभिवचनो एवं साक्ष्य मे दावा खारिज योग्य था तथा काउन्टर क्लेम स्वीकार योग्य था। विवादित आराजीयात ख0न0 129/2 रकबा 4 बीघा 17 विस्वा अपीलांट की रिकार्डेड खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि रही है। दुर्गासिह वगै0 के विरूद्व सरकार द्वारा सिलिंग एक्ट की कार्यवाही कर उनकी भूमि ख0न0 129 व अन्य को सरकार ने सिंलिंग मेम अवाप्त कर उसमे से 5 बीघा 2 विस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 6.5.76 को अपीलांट को आवंटन किया गया था तथा कब्जा संभलवाया था। चूकि मौके पर भूमि 5 बीघा 2 विस्वा न होकर केवल 4 बीघा 17 विस्वा ही था जिसका मिन न0 129/2 डला तथा अपीलांट के पक्ष मे गैर खातेदारी का नामा0 खोला गया। अपीलांट इस भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। मौके पर सम्पूर्ण भूमि पर काबिज काश्त है। सेटलमेंट के दौरान उक्त भूमि के नवीन नम्बर 524 से 531 तथा 539 से 542 कुल किता 12 कुल रकबा 1.22 है0 दर्ज हुए है जो अपीलांट की खातेदारी मे दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय करने से पूर्व इन नवीन नम्बरो का सही ढंग से अवलोकन नही किया। पुराने नम्बरो के आधार पर ही निर्णय पारित किया है जो आज अस्तित्व मे नही है। जो विधि विरूद्व है। अपीलांट के आवंटन के विरूद्व रेस्पो0 ने अपने पुराने कब्जे को आधार बताकर आवंटन को निरस्त कराने की कार्यवाही की गई थी जिसे अति0जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 28.12.97 को खारिज किया गया था। जिसकी निगरानी माननीय राजस्व मंडल मे किये जाने पर दिनांक 28.5.99 को एडमिशन स्तर पर ही निगरानी रेस्पो0 की खारिज हो चुकी है। इस प्रकार अपीलांट का आवंटन से लगातार कब्जा काश्त आराजीयात पर चला आ रहा है। रेस्पो0 द्वारा सभी ज़गह असफल होने के फलस्वरूप उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे दावा प्रस्तुत कर जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जा मानते हुए धारा 19 (1ए) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत वादीगण को 1/2 भाग का खातेदार घोषित कर उनके पक्ष मे इन्द्राज करने एवं 1/2 भाग पर अपीलांट/प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश जारी किया गया है। जो अवैधानिक है। अपीलांट को आवंटित भूमि पर एडवर्स पजेशन तथा धारा 19 आर टी एक्ट क तहत कानूनन वादीगण को किसी भी प्रकार का खातेदारी अधिकारी प्रदान नही किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि के पश्चिम की तरफ के 1/2 भाग पर वादीगण का अपने बुजुर्गो के समय से कब्जा मानकर धारा 19 का हवाला दिया जाकर खातेदारी अधिकार दिये गये है। जबकि उक्त भूमि पूर्व मे दुर्गा सिह की खातेदारी मे थी जिसे सिंलिंग मे अवाप्त किये जाने पर आवंटन कमेटी द्वारा अपीलांट को सन

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:11:24 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

डूंगर जिला सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

1976 मे 5 बीघा 2 बिस्वा भूमि आवंटित की गई थी। यदि वादी को सिलिंग मे अवाप्त किये जाने से पूर्व ही 1/2 भाग पर कब्जा था तो उनको अपने पक्ष मे आवंटन अथवा नियमन कराना चाहिए था। लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र आवंटन कमेटी के समक्ष पेश नही किया है। अपीलांट भूमिहीन काश्तकार रहा है तथा आवंटन सलाहकार समिति ने अपीलांट/प्रतिवादी को भूमि का आवंटन किया है। वादीगण द्वारा अपीलांट को हुए आवंटन को खारिज कराने की कार्यवाही माननीय राजस्व मंडल अजमेर तक की गई है परन्तु उनके द्वारा आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज हो चुके है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो0 के पक्ष मे वाद निर्णित कर कानूनी भूल की है। रेस्पो0/वादीगण द्वारा विवादित भूमि के संबंध मे एक वाद पत्र पूर्व मे घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी किशनलाल बनाम मोतीलाल वगै0 नम्बरी 377/99 दायर किया था जिसका निर्णय दिनांक 3.1.03 को अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर द्वारा किया जा चुका है उसमे भी अपीलांट को भूमि ख0न0 129/2 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा सम्पर्ण का खातेदार काश्तकार माना है तथा रेस्पो0 मोतीलाल वगै9 जो कि उस दावे मे प्रतिवादी थे को 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित नही किया है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया है। सन 2003 मे निर्णित किये गये दावे के निर्णय मे सम्पूर्ण 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि का अपीलांट किशनलाल को तन्हा खातेदार काश्तकार माना है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने पूर्व के निर्णय व डिकी के विरूद्व जाकर 1/2 भाग का खातेदार गलत रूप से घोषित किया है। जो धारा 11 सीपीसी रेसज्यूडिकेटा की श्रेणी मे आता है। जो अवैध एवं अन्यायोचित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की विवेचना किये बिना ही निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि विवादित आराजीयात पर रेस्पो/वादी संख्या 1 व 2 का पिता तथा रेस्पो/वादी संख्या 3 ता 5 के बाबा मांग्या उर्फ मांगीलाल का सम्वत 2009 से ही उप कृषक के रूप मे कब्जा काश्त रहा है तथा 1/2 भाग पर सम्वत 2009 से ही काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा था। मांग्या की मृत्यु के बाद से ही 1/2 भाग पर रेस्पो/वादीगण काबिज है। उक्त भूमि के मूल खातेदार दुर्गासिह,करणसिह एवं नारायण सिह राजपूत थे। यह भूमि सिंलिंग मे अवाप्त हो गई। परन्तु कब्जा काश्त बदस्तुर रेस्पो/वादीगण के पिता एवं बाबा का चलता रहा। आवंटन के समय रेस्पो/वादीगण के पिता एवं बाबा मांग्या के पास ज्यादा भूमि होने के कारण उनको आवंटन नही हो सकती थी। इस कारण रेस्पो/वादीगण के पिता एवं बाबा तथा प्रतिवादी/अपीलांट के पिता ने संयुक्त परिवार की आपसी सहमति से उक्त भूमि का आवंटन प्रतिवादी/अपीलांट के नाम करा दिया। परन्तु 1/2 भाग पर कब्जा काश्त मांग्या का बदस्तुर रहा। आवंटन के बाद रेस्पो/वादीगण एवं प्रतिवादीगण/अपीलांट के बीच उक्त भूमि का बंटवारा हो गया तथा उक्त भूमि का 1/2 पश्चिमी भाग रेस्पो/वादीगण के पिता एवं बाबा के हिस्से मे आया तथा उक्त भूमि का नम्बर 129/2 होकर रेस्पो/वादीगण एंव प्रतिवादी/अपीलांट अपने अपने भाग 1/2, 1/2 पर काबिज काश्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:11:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

है। सम्वत 2009 से 2033 तक 1/2 भाग पर रेस्पो/वादीगण के पिता तथा बाबा मांग्या तथा उनकी मृत्यु के बाद रेस्पो/वादीगण का नाम खसरा गिरदावरियो मे दर्ज है। इस प्रकार भूमि ख0न0 129/2 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा पर 1/2 पश्चिमी भाग पर रेस्पो/वादीगण का सम्वत 2009 से बदस्तुर कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं रेस्पो/वादीगण का एडवर्स पजेशन भी है जो बारह साल से अधिक समय से है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कायम तनकी संख्या 1 ता 3 व 5 ता 7 वादी/रेस्पो0 के पक्ष मे निर्णित की गई है। भूमि विवादित पर रेस्पो/वादीगण का कब्जा काश्त मानकर धारा 19 का लाभ देते हुए ही वादी/रेस्पो0 का वाद पत्र स्वीकार विधि के अनुसार किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। विवादित भूमि पर अपीलांट का कभी कब्जा काश्त नही रहा है ना ही आज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो0 का वाद पत्र स्वीकार कर आराजीयात 129/2 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा ग्राम महेसरा के 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित विधि अनुरूप किया है। अतःअपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात साबिक ख0न0 129 के खातेदार पूर्व मे दुर्गासिह,करणसिह, एवं नारायण सिह राजपूत थे। इस भूमि को सिंलिंग मे राज्य सरकार द्वारा अवाप्त किये जाने के फलस्वरूप अवाप्त की गई भूमि ख0न0 129 मे 5 बीघा 2 बिस्वा भूमि का आवंटन अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 किशनलाल पुत्र रानारायण बैरवा निवासी महेसरा को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 6.5.1976 को आवंटित की गई थी। मौके पर भूमि 5 बीघा 2 बिस्वा नही होने से 4 बीघा 17 बिस्वा होने पर 4 बीघा 17 बिस्वा पर कब्जा संभलवाया गया था। अपीलांट को आवंटित हुई भूमि को निरस्त कराने हेतु वादी/रेस्पो0 द्वारा अति0जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के यहॉ अपील संख्या 146/97 अपील नियम 22 बी राजस्थान इम्पोजीशन आफ सीलिंग आन एग्रीक्लचरल होल्डिग रूल्स 1973 के तहत पेश की गई जिसे अति0जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.12.97 के द्वारा अपील खारिज कर अपीलांट/प्रतिवादी किशनलाल के पक्ष मे किया गया आवंटन दिनांक 6.5.76 को बहाल रखा गया। जिसकी अपील रेस्पो/वादी द्वारा माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर मे किये जाने पर मण्डल द्वारा अपील सीलिंग 11/98 उनवानी मोतीलाल बनाम किशनलाल को दिनांक 28.5.99 को एडमिशन स्तर पर ही खारिज कर दी गई। पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व अभिलेखा जमाबंदी खतौनी सम्वत 2047 से 2050 व 2051 से 2054 मे आराजी ख0न0 129/2 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा मे अपीलांट किशनलाल पुत्र रामनारायण का अंकन है। जो प्रदर्श 1 है। सीलिंग मे अवाप्त भूमि मुकदमा सरकार बनाम दुर्गासिह राजपूत महेसरा आवंटन मुख्यालय भाडौती मे भूमि ख0न0 129 मे रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा भूमि का आवंटन भी अपीलांट किशनलाल पुत्र रामनारायण के नाम आवंटन होने का अंकन है जो प्रदर्श 2 है। प्रदर्श 4 के अनु[illegible]0संख्या 285 से ख0न0 129 मे से 1/2 किशनलाल पुत्र नारायण बैरवा के नाम आवंटन होने का अंकन है। न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौली के न्यायालय मे वादी/अपीलांट किशन[illegible] द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र संख्या 372/99 निर्णय दिनांक 3.1.03 के द्वारा वादी/अपीलांट को [illegible]जी ख0न0 129/2 रकबा 4

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:11:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बीघा 17 विस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप-जिला कलेक्टर मलारना डूँगर के मुकदमा न0 94/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.3.18 को अपास्त किया जाता है । अपीलांट किशनलाल पुत्र रामनारायण जाति बैरवा निवासी महेसरा को ग्राम महेसरा की साबिक आराजी ख0न0 129/2 के हाल नवीन ख0न0 524 ता 531 व 539 ता 542 कुल किता 12 रकबा 1.22 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:11:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner